3री बैठक की कार्यवाही (18.12.2012)

दिनांक 18.12.2012 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में मिशन मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की तीसरी बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य।

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग ने बताया कि मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु संकल्प संख्या-1456, दिनांक-29.09.2011 द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की यह तीसरी बैठक है। दिनांक 31.08.2012 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मिशन मानव विकास से संबंधित विभिन्न सूचकांको का समावेश कर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण किया गया।

2. इसके विचारोपरान्त निम्नांकित सूचकांकों को मिशन मानव विकास के पर्यवेक्षण हेतु चयनित करने का निर्णय लिया गया :-

1. कुल प्रजनन दर
2. लिंगानुपात
3. बाल विवाह
4. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
5. शिशु मृत्यु दर
6. कुपोषण
7. मातृ मृत्यु दर
8. किशोरी एवं गर्भवती महिला के बीच एनिमिया
9. सकल नामांकन अनुपात
10. छात्र-अध्यापक अनुपात
11. विद्यार्थी कक्षा अनुपात
12. छीजन दर
13. बुनियादी शिक्षा
14. कौशल उत्क्रमण एवं विकास
15. गरीबी उन्मूलन (स्वयं सहायता समूह का विकास)
16. कमजोर एवं अतिनिर्धन वर्गो की सुरक्षा
17. स्वच्छ पेयजल आच्छादन
18. स्वच्छता
19. खेल एवं संस्कृति
20. सूचना एवं संचार

3. उपर्युक्त मिशन मानव विकास के सूचकांको के बेहतर अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु प्रत्येक सूचकांक का रोड मैप तैयार करने हेतु निम्नांकित समितियों गठन किया जाय :-

3.1 जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं कुपोषण विषयक समिति जिसमें लिंगानुपात, बाल विवाह, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, मातृ मृत्यु दर, किशोरियों एवं गर्भवती महिला के बीच अनेमिया तथा प्रजनन दर के संबंध में रोड मैप तैयार की जायेगी।

3.2 शिक्षा विषयक समिति जिसमें सकल नामांकन अनुपात, छात्र अध्यापक अनुपात, विद्यार्थी कक्षा अनुपात, छीजन दर एवं बुनियादी शिक्षा के संबंध में रोड मैप तैयार की जायेगी।

3.3 कौशल विकास विषयक समिति जिसमें कौशल विकास के संबंध में रोड मैप तैयार की जायेगी।

3.4 जलापूर्ति एवं स्वच्छता विषयक समिति जिसमें पेयजल एवं शौचालय निर्माण के संबंध में रोड मैप तैयार की जायेगी।

3.5 कमजोर वर्ग एवं अति निर्धन वर्ग की सुरक्षा विषयक समिति जिसमें स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, कमजोर वर्ग अति निर्धन वर्ग की सुरक्षा के संबंध में रोड मैप तैयार की जायेगी।

3.6 कला संस्कृति एवं क्रीड़ा विषयक समिति जिसमें खेल एवं संस्कृति के संबंध में रोड मैप तैयार की जायेगी।

3.7 सूचना एवं संचार विषयक समिति जिसमें सूचना एवं संचार के संबंध में रोड मैप तैयार की जायेगी।

4. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा उपर्युक्त वर्णित समितियों के सदस्य के चयन के संबंध में स्वीकृति मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्राप्त कर तदनुसार निर्देश निर्गत किया जायेगा।

5. प्रधान सचिव/सचिव अपने विभागों से संबंधित मुद्दों एवं लक्ष्यों के संबंध में विभागीय मंत्री से विचार-मंथन कर लेंगे और उनके सुझावों को भी विभागीय प्रस्ताव में सम्मिलित कर लेंगे।

6. अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सूचकांकों के पंचवर्षीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार करेंगे जिसमें वर्त्तमान की योजनाओं एवं नीतियों का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित योजना एवं नीतियों का उल्लेख किया जायेगा। समितियाँ अपने कार्यो के निष्पादन हेतु कार्यशालाएं आयोजित कर सकेंगी। सभी समितियों को अध्यक्ष आवश्यकतानुसार किसी अन्य विशेषज्ञ को समिति के कार्यो में सहयोग के लिए नामित कर सकेंगे।

7. ये समितियाँ एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन योजना एवं विकास विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भेजेंगी ।

8. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग इन प्रतिवेदनों के आधार पर समेकित प्रतिवेदन मंत्रिमंडलीय सचिवालय को सौंपेंगे।

9. योजना एवं विकास विभाग में मिशन मानव विकास के प्रबोधन के लिए एक प्रकोष्ठ गठित किया जायेगा।

10. जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला योजना पदाधिकारी मिशन मानव विकास के प्रबोधन के लिए नोडल ऑफिसर नामित रहेंगे।

31.1.2013

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक-मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद-17/2011(खंड) 155 /दिनांक 31 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि :-मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मंत्री, शिक्षा के आप्त सचिव/मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/मंत्री, समाज कल्याण के आप्त सचिव /मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आप्त सचिव/मंत्री, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण के आप्त सचिव/मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के आप्त सचिव/मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा के आप्त सचिव/मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी के आप्त सचिव/मंत्री, योजना एवं विकास के आप्त सचिव/मंत्री, श्रम संसाधन के आप्त सचिव /मंत्री, सूचना एवं जन संपर्क के आप्त सचिव/मंत्री, सूचना प्रावैधिकी के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/2013

(बिनोद प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद-17/2011(खंड) 155 /दिनांक 31 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि :-मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/2013

(बिनोद प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– मं०मं०–01/मंत्रिपरिषद–17/2011(खंड) 155 /दिनांक– 31 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव/वित्त विभाग/शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग/अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/योजना एवं विकास विभाग/श्रम संसाधन विभाग/सूचना एवं जन संपर्क विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/गृह विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग तथा भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/1/2013

(विनोद प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव